भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या -1295

(जिसका उत्तर गुरुवार, 12 दिसंबर, 2013/21 अग्रहायण, 1935 (शक) को दिया गया)

<u>प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम से छूट</u>

1295. श्री धर्मेन्द्र यादव:
श्री अधलराव पाटील शिवाजीः
श्री आनंदराव अडसुलः
श्री गजानन ध. बाबरः

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के द्वारा शुरू की गई घाटे में चलने वाले बैंकों के बलात विलय हेतु प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम से पूर्णरूपेण छूट के लिए उक्त बैंक के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;
(ग) क्या केन्द्रीय बैंक ने प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम की धारा 5 से 6 के अंतर्गत छूट मांगी थी जिसमें विलय से पहले सरकार की पूर्वानुमति आवश्यक होती है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;
(ङ) क्या आरबीआई ने ग्लोबल ट्रस्ट बैंक का ओरिएन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स एवं अन्य बैंकों से बलात विलय हेतु इस धारा को लागू किया था; और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री सचिन पायलट)

(क) से (घ): सरकार ने दिनांक 08.01.2013 की अधिसूचना द्वारा पहले ही प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 5 और 6 के प्रावधानों से एक बैंकिंग कंपनी को छूट प्रदान की है, जिसके संबंध में अन्य बैंकिंग संस्थानों के साथ इसके समामेलन के लिए बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 45 के तहत एक

अधिसूचना जारी की गई है। ये प्रावधान अधिग्रहण, समामेलन और विलय को विनियमित करने के लिए प्रतिस्पर्धा आयोग के क्षेत्राधिकार से संबंधित हैं।

(ङ.) और (च): ग्लोबल ट्रस्ट बैंक का ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के साथ समामेलन 14 अगस्त, 2004 से हुआ है जब अधिग्रहण, समामेलन और विलयों से संबंधित प्रतिस्पर्धा अधिनियम की धारा 5 और 6 लागू नहीं थीं। ये धाराएं 01 जून, 2011 से ही लागू हुई हैं।

*****